ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.2, JULY-DEC,2023 /9

भारत में पंचायती राज की भूमिका एंव उसका अध्ययन

बीरेन्द्र वर्मा – शोध छात्र–राजनीतिशास्त्र
पं0 राम लखन शुक्ल राजकीय महाविद्याालय आलापुर, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश।
https://doi.org/10.61410/had.v18i2.135

भूमिका–

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत स्वंत्रतता प्राप्त करने के बाद की गई। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना है। लार्ड रिपन का 1882 ई0 में संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए शुरूआत मानी जाती है रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसे ग्रामीण व्यवस्था का विकास करने के लिए स्थापित किया जाता है सन् 1992 के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है।[1]

भारत में पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ई0 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ 11 अक्टूबर 1959 ई0 में प0 नेहरू ने आन्ध्र प्रदेश में भी पंचायती राज का आरम्भ किया गया। पंचायती राज्य के माध्यम से महिलाओं में भी लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा हुई। और महिलाओं का लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ा। जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गयी और महिलाओं का चुनाव प्रणाली में भागीदारी बढ़ी।[2]

यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है किन्तु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नही होता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायती राज सस्था के प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं कि लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तथा इसका प्रभाव समाज पर अच्छा पड़ता है। इससे लोगों को लोकतंत्र के बारे में जागरूकता प्राप्त होती है।

पंचायती राज के कार्य–

पंचायती राज मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। गांव में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबंध करना, गांव की सड़कों तथा नालियों की देख–रेख एवं उसकी मरम्मत करवाना तथा गांव में बाजार व्यवस्था एवं सार्वजनिक संपत्ति की देख–रेख करना, गांवों की महिलाओं के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं बाल–विकास को प्रोत्साहन देना, गांव में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था करना, गांवों के विकास के लिए कुटीर उद्योग के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन देना और गांव का विकास करना आदि शामिल है।

गांव में चुनाव के माध्यम से प्रधान का चुनाव किया जाता है। 18 वर्ष के अधिक उम्र के मतदाता प्रधान के चुनाव में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटें आरक्षित होती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो गांवो के विकास के लिए अनेक तरह की योजनाओं के

द्वारा कार्य करती है। ग्राम पंचायत के माध्यम से मतस्य पालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। और गांव की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए पुस्तकलाय एवं वाचनालय का भी प्रबंध किया जाता है।[3]

भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित निम्नलिखित समितियां–

बलवन्त राय मेहता समिति	1957
अशोक मेहता समिति	1977
पी0 वी0 के0 राय समिति	1985
एल0 एम0 सिंधवी समिति	1986
64 वां संविधान संशोधन	1989
73 वां संविधान संशोधन	1993

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व–

इस अधिनियम में संविधान के 40 वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया। जिसमें ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य उचित कदम उठायेगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तिओं और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे वह कि वह स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम होगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का एक हिस्सा है इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक शुरूआत है।

अनिवार्य प्रावधान–

1. एक गांव या गांव के समूह में ग्रामसभा का गठन करना, गांव स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक स्तर एंव जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।
2. तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए चुनाव।
3. माध्यमिक तथा जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
4. पंचायत के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का मताधिकार।
5. पंचायतों में में चुनाव लड़ने के लिए न्युनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
6. सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एंव जनजातीयों (सदस्य एंव प्रमुख दोनों के लिए) के लिए आरक्षण।
7. सभी स्तरों पर (सदस्य एंव प्रमुख दोनों के लिए) एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित।[1]

स्वैक्षिक प्रावधान–

1. ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्ति एवं प्रकार्यों से युक्ति करना।
2. ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके को निर्धारित करना।
3. ग्राम पंचायतो के अध्यक्षों को मध्यवर्ती , पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना, और जहां मध्यवर्ती पंचायती नहीं है। वहां जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
4. मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।

5. पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण।
6. पंचायत के किसी भी स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का अरक्षण।

निष्कर्ष–

भारत में पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास किया जाता है। ग्रामपंचायत के द्वारा गांव में अस्पताल एवं कुटीर उद्योग का भी प्रबंध किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के माध्यम से ग्राम प्रधान का चयन किया जाता है। पंचायत के अंर्तगत 29 विषयवस्तु समाहित हैं। इन विषयों के अंतर्गत ग्रामपंचायत अपना कार्य करती है।

ग्राम पंचायत का कार्य कृषि को बढ़ावा देना है। भूमि विकास तथा भूमि सुधार लागू करना लघु सिंचाई की व्यवस्था करना तथा पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय को महत्व देना ग्रामीणों का विकास करना, पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, गांव में अच्छी सड़कों का प्रबंध करना शिक्षा के लिए विभिन्न पुस्तकालयों का निर्माण करना गांव की गरीबी दूर करना तथा गांव को समृद्धि एवं विकास की तरफ ले जाना, सामाजिक संपत्ति की देख–रेख करना।[6] ग्रामीण स्वास्थ्य के अंतर्गत अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उचित प्रबंध करना तथा गांव के कमजोर वर्गो का उत्थान करना, खादी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना आदि पंचायत की विषय वस्तु में शामिल है। पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।, महिलाओं में लोकतंत्र की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। जिससे चुनाव में उनकी सहभागिता बढ़े और महिलाएं भी लोकतंत्र में बढ़–चढ़कर हिस्सा लें। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से उनकी सहभागिता और बढ़ेगी। जिससे महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में उम्मीदवारी बढ़ रही है और महिलाएं भी राजनीति में आगे बढ़ रहीं हैं और महिलाओं के विकास में लोकतंत्र का महत्व बढ़ रहा है।

संदर्भ–

1. भारत की राज व्यवस्था, एम0 लक्ष्मीकांत, माइग्राहिल एजूकेशन इण्डिया प्रा0लि0, पृ0 38.7
2. भारतीय संविधान तथा नागरिक जीवन, डा0 पुखराज जैन, बंशल पब्लिकेशन हाउस
3. लूसेन्ट, सामान्य ज्ञान, सुनील कुमार सिंह, लूसेन्ट पब्लिकेशन पटना पृ0 191
4. राजनीति विज्ञान, एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा गोल्डेन पिकाक पब्लिकेशन दिल्ली
5. एस0 के0 सिंह, पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज, कुरूक्षेत्र, 2001
6. https//www.wikipidea.com.hindi